



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-30042024-253943
CG-CG-E-30042024-253943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1763]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2024/वैशाख 9, 1946

No. 1763]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2024/VAISAKHA 9, 1946

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना
बिलासपुर, 22 अप्रैल, 2024

का.आ. 1855(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, (1989 का 24) 1989 की धारा 2 के खण्ड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भाटापारा स्टेशन पर वर्तमान में स्थित विद्युत परिवर्तन सिस्टम को 2 X 25 KV में अप ग्रेडेशन करने हेतु

[फा. सं. सी.प.म./EL/बिलासपुर/ भाटापारा/भूमि अधिग्रहण/37A/SRP/2 X 25 KV]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C.Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 22nd April, 2024

S.O. 1855(E).— In exercise of the powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the central Government hereby notifies the following project as mentioned in Column (2) of the table below as Special Railway Project in the state of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Name of Project
(1)	(2)
1.	Upgradation of Existing Electrical Transaction System to 2x25 AT Electrical Traction System at Bhatapara Station over SECR.

[F. No. CPM/EL/Bilaspur/Bhatapara/Land Acqu/37A/SRP/2x25 KV]
ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Construction)